

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमति मोनिका कटेवा, व्याख्याता-रसायन विज्ञान, राउमावि हरसूलिया (फागी), जयपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम श्रीमति मोनिका फोगाट परिवर्तित किया है।

अतः श्रीमति मोनिका कटेवा, व्याख्याता-रसायन विज्ञान, राउमावि हरसूलिया (फागी), जयपुर के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम श्रीमति मोनिका फोगाट अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमति मोनिका कटेवा संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम श्रीमति मोनिका फोगाट संबोधित/जारी किया जावें।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक- 03/12/19

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/उपनाम-परिवर्तन/2018-19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान.....।
7. संबंधित कार्मिक.....।
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमति विनोद कालड़ा, व्याख्याता-जीव-विज्ञान, रा.आ.बा.उ.मा. विद्यालय डुंगरसिंहपुरा, श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम श्रीमति विनोद सिडाना परिवर्तित किया है।

अतः श्रीमति विनोद कालड़ा, व्याख्याता-जीव-विज्ञान, रा.आ.बा.उ.मा. विद्यालय डुंगरसिंहपुरा, श्रीगंगानगर के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम श्रीमति विनोद सिडाना अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमति विनोद कालड़ा संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम श्रीमति विनोद सिडाना संबोधित/जारी किया जावें।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 03/12/19

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/उपनाम-परिवर्तन/2018-19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान.....।
7. संबंधित कार्मिक.....।
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमती हेमलता, से0नि0 व्याख्याता-संस्कृत, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालोरी गेट, जोधपुर के द्वारा अपने समस्त राजकीय अभिलेखों में अपना नाम श्रीमती हेमलता चारण अंकित कर रखा है।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1(3) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 15.02.2018 के परिपैक्ष्य में श्रीमती हेमलता, से0नि0 व्याख्याता-अंग्रेजी, के पेन्शन संबंधित प्रकरण/अभिलेखों में इनका नाम श्रीमती हेमलता, के स्थान पर श्रीमती हेमलता चारण, अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।




(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/नाम परिवर्तन/2015-16 दिनांक: 03/12/19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय जोधपुर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालोरी गेट, जोधपुर
6. श्रीमती हेमलता, से0नि0 व्याख्याता-संस्कृत, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालोरी गेट, जोधपुर
7. रक्षित



1- संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर